न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी 589-III-15

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण

महेन्द्र सिंह पुत्र उद्यम सिंह

निवासी ग्राम–रन्नोद

तहसील–कोलारस जिला–शिवपुरी

विरूद्व

अनुराग पुत्र गिरजेश भार्गव

निवासी ग्राम–रन्नोद

तहसील–कोलारस जिला–शिवपुरी

द्वारा आज दि. 20/3/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 325/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–02–2015 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

प्रकरण के तथ्य–

1. यह कि, इस प्रकरण से संबंधित भूमि सर्वे क्रमांक 940 क्षेत्रफल 0.940 आवेदक के पिता के नाम पर राजस्व अभिलेखो में अंकित है यह भूमि आवेदक की पैतृक सम्पति रही है.

2. यह कि, अनावेदक न तो आवेदक के परिवार का सदस्य है, ना ही उसका उक्त भूमि में कोई स्वत्व एवं अधिकार है और ना ही उसका उक्त भूमि से किसी प्रकार का संबंध रहा है.

3. यह कि, आवेदक को अपने स्वयं के व्यवसाय हेतु कुछ भूमि की आवश्यकता थी अतः आवेदक के परिवार ने आवेदक को उपरोक्त भूमि में से 0.200 हैक्टेयर भूमि बंटवारे में देने का निश्चय किया तदनुसार, अतिरिक्त तहसीलदार ने आवेदक के पिता एवं अन्य दो भाईयों की सहमति के आधार पर आवेदक के हित में 0.200 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा आदेश दिया जिसके आधार पर आवेदक का पृथक से खाता निर्मित किया गया.

4. यह कि, बंटवारा आदेश के विरूद्व भूमि के किसी भी हितधारी/परिवार के सदस्य द्वारा कोई

R – 589 -III/15 शिवपुरी

7/9/16	आवेदक अभि० सह एम०पी० वाजपेयी- उपस्थित होकर- श्रीमती पुष्पलताबाई का आवेदन पत्र एवं समाप्त (समझौता के आधार पर) किया जाने का निवेदन किया है। अतः आवेदक अभि० का आवेदन स्वीकार किया जाता है। अतः प्रकरण निवेदन के आधार पर प्रकरण समाप्त किया जाता है। सही	19.9 महेन्द्र सिंह